

## छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर  
जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़, फोन - 0771-2512580

क्र. 568/छ.ग.सं/प्रकाशन/2024

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक : 15/07/2024

### वर्ष 2024-26 तक के लिए होर्डिंग्स के माध्यम से राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों का इम्पैनलमेंट हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा होर्डिंग्स तीन श्रेणीयों 'अ', 'ब' एवं 'स' के माध्यम से राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों का इम्पैनलमेंट हेतु निर्धारित प्रारूप में समस्त वांछित दस्तावेजों सहित पूर्ण भरे हुए निविदा ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रारूप एवं नियम शर्तों का अवलोकन छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाईट <http://samvad.cg.nic.in> पर किया जा सकता है। प्रारूप एवं नियम शर्तों में संशोधन होने पर संशोधन की सूचना उक्त वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी, पृथक से समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन नहीं की जाएगी। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि निम्नानुसार है :-

प्री-बिड मीटिंग - 24.07.2024 समय अपराह्न 3:30 बजे से (छत्तीसगढ़ संवाद भवन के प्रथम तल में स्थित बैठक कक्ष में आयोजित होगी)

क्र.	निविदा	निविदा प्रपत्र शुल्क, GST सहित (वापसी योग्य नहीं)	अमानत राशि (बिना व्याज के वापसी योग्य)	निविदा में भाग लेने हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि (दोपहर 2:00 बजे तक)	निविदा प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि (दोपहर 3:00 बजे तक)	निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि (सायं 4:00बजे)
1	होर्डिंग्स 'अ' श्रेणी	2,360/-	5,00,000/-	23.08.2024	23.08.2024	23.08.2024
2	होर्डिंग्स 'ब' श्रेणी	2,360/-	2,00,000/-	23.08.2024	23.08.2024	23.08.2024
3	होर्डिंग्स 'स' श्रेणी	5.90/-	50,000/-	23.08.2024	23.08.2024	23.08.2024

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ संवाद  
रायपुर, छत्तीसगढ़

**छत्तीसगढ़ संवाद**  
**(जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था)**  
**नार्थ ब्लाक, सेक्टर- 19, नवा रायपुर अटल नगर**  
**जिला रायपुर ,छत्तीसगढ़**

**वर्ष 2024-26 तक के लिए "ब" श्रेणी के होर्डिंग्स के इम्पेनलमेंट हेतु छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों हेतु निविदा  
(रायपुर तथा नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र को छोड़कर) की नियम एवं शर्तें**

क्रमांक	नियम एवं शर्तें
1	होर्डिंग्स हेतु निविदा वर्ष 2024-26 तक के लिए होर्डिंग्स के श्रेणी (ब) मूलतः छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला मुख्यालय (नगर पालिका/नगर निगम) में स्वयं के स्वामित्व के होर्डिंग्स में विज्ञापन प्रदर्शन हेतु स्पेस देने वाले एजेंसियों से होर्डिंग्स हेतु प्रति वर्ग फीट प्रति माह स्पेस किराया का दर आमंत्रित किया जा रहा है। जॉइंटवेंचर/ फैंचाइजी/कंसोरटीयम मान्य नहीं होगा।
2	ब'श्रेणी के लिये किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 का औसतन 50 लाख रुपए का का UDIN अंकित टर्न ओवर प्रमाणपत्र ऑनलाईन अपलोड करना होगा है।
3	ब' श्रेणी के एजेंसी को छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी विभाग में निविदाकर्ता फर्म का पंजीयन होना अनिवार्य है। टेक्निकल बिड में पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना होगा।जीएसटी पंजीयन की ARN मान्य होगा। परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी पंजीयन के प्रति उपलब्ध कराने के पश्चात् ही संबंधित फर्म से अनुबंध निष्पादन किया जाएगा, पैन कार्ड, कर निर्धारण वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 का इन्कमटैक्स रिटर्न (Acknowledgement), माह मार्च का 2024 का GSTR3B की प्रति छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी पंजीयन नवीन होने की स्थिति में अपने प्रचलित जीएसटी नंबर का माह मार्च -2024 की जीएसटी रिटर्न की प्रति अपलोड करना होगा।
4	निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 2,360/- जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रु. 2,00,000/- (बिना ब्याज के वापसी योग्य) छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता में ऑनलाईन/ आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से जमा करना होगा एवं पावरी/साक्ष्य की प्रति टेक्निकल बिड के साथ जमा करना होगा। <b>छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता का विवरण निम्नानुसार है :-</b> <b>Account Name : Chhattisgarh Samvad</b> <b>Bank Name : Central Bank of India</b> <b>Branch Name : Civil Line, Raipur (C.G.)</b> <b>Saving Account No. : 1279040867</b> <b>IFSC Code No. : CBIN0282321</b>
5	(1)होर्डिंग्स की नगर पालिक निगम/नगर पालिका /नगर पंचायत से स्वयं की स्वामित्व संबंधी वैधता प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। (2)एजेंसियों को छत्तीसगढ़ के रायपुर छोड़कर शेष सभी जिला मुख्यालय के नगर पालिक निगम , नगर पालिका एवं अन्य संबंधित शासकीय एवं अर्धशासकीय में अपने स्वामित्व के स्थापित होर्डिंग्स के स्थान, बिल्डिंग, सड़क तथा नगर पालिक निगम/नगर निगम का कोड नंबर का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करना है। (3)होर्डिंग्स का फोटो एल्बम होर्डिंग्स की साईज एवं होर्डिंग्स लोकेशन मैप की पूर्ण पता का उल्लेख करते हुए निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। (4)स्वयं के स्वामित्व के Solvent Machine का देयक एवं बिजली बिल की छायाप्रति ऑनलाईन अपलोड करना होगा है।
6	निविदा आमंत्रण का उद्देश्य दर निर्धारण एवं पैनल तैयार करने के लिए है। होर्डिंग्स हेतु यूनिटम आकार 20 x 10 वर्ग फीट का मान्य होगा।

**छत्तीसगढ़ संवाद**  
**(जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था)**  
**नार्थ ब्लाक, सेक्टर- 19, नवा रायपुर अटल नगर**  
**जिला रायपुर ,छत्तीसगढ़**

7	छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट "samvad.cg.nic.in" में निविदा के टेक्नीकल बिड में वांछित दस्तावेज एवं फाईलेशनियल बिड ऑनलाईन जमा किया जाना है।
8	निविदा में प्राप्त दरो के आधार पर न्यूनतम दर निर्धारित दरो में कार्य करने में सहमत एजेन्सियों की 02 वर्ष के लिए पैनल तैयार किया जाएगा। निविदा में न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले एजेन्सियों को कार्य आबंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। कार्य के तत्कालिकता एवं आवश्यकता तथा बेहतर लोकेशन एवं बेहतर Visibility के आधार पर न्यूनतम निर्धारित दरो में पैनल के एजेन्सियों को कार्य आबंटन का पूर्ण अधिकार अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
9	होर्डिंग्स हेतु निर्धारित अवधि व वांछित आकार, प्रकार एवं संख्या में कमी पाए जाने पर संवाद द्वारा गठित होर्डिंग्स समिति से परीक्षण कराया जायेगा और कायदिश के अनुरूप नहीं होने पर कमी का आंकलन कर उसके अनुरूप देयक से कटौती कर भुगतान किया जायेगा।
10	होर्डिंग्स लगाने की निर्धारित अवधि में Printing Media लगाने, रखरखाव और सुरक्षा के साथ-साथ आवश्यकता होने पर इसे बदलने का कार्य एजेंसी का होगा। छत्तीसगढ़ संवाद के होर्डिंग्स का कार्य तात्कालिक प्रवृत्ति का होता है। अतः "ब" श्रेणी के होर्डिंग्स हेतु एजेन्सियों के पास NGT तथा समय समय पर केंद्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार अनुमोदित मीडिया/ मटेरियल मुद्रण हेतु स्वयं का Solvent मशीन होना अनिवार्य हैं। जिसका बिल की छायाप्रति तथा बिजली बिल निविदा के साथ संलग्न करना होगा। मीडिया/ मटेरियल माउंटिंग हेतु अतिरिक्त व्यय देय नहीं होगा। संबंधित विभाग/कार्यालय के अधिकारियों से प्रमाणित संतोषजनक कार्य संपादन संबंधी प्रमाण-पत्र, एवं दिनांक उल्लेखित प्रमाणित छायाचित्र की दो प्रतियां जिसमें होर्डिंग्स की लोकेशन, अवधि एवं साईज उल्लेखित हो देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा। साल्वेंट प्रिंटर का मूल देयक निविदाकर्ता के नाम से होना चाहिए।
11	सम्बंधित विभागों से छत्तीसगढ़ संवाद को देयक का भुगतान प्राप्त होने के पश्चात ही संबंधित एजेंसी के देयकों का भुगतान किया जाएगा, कार्य हेतु किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। एजेंसी द्वारा कार्य पश्चात् 21 दिवस के भीतर फोटोग्राफस एवं सत्यापन प्रमाण पत्र के साथ देयक छत्तीसगढ़ संवाद में प्रस्तुत करना होगा। एवं जीएसटी अधिनियम के तहत निर्धारित तिथि के अन्दर एजेंसी को देय जीएसटी का भुगतान सुनिश्चित करना होगा।
12	निविदा में अंकित दरें एवं शर्तों को स्वीकृत, अस्वीकृत एवं नियम शर्तों को शिथिल करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
13	आमंत्रित दर में मीडिया/मटेरियल मुद्रण की दर शामिल नहीं होगा। संवाद द्वारा पृथक से मीडिया/मटेरियल के मुद्रण हेतु निविदा किया जा रहा है। उक्त निविदा के L-1 दर पर कार्य मान्य होगी। मीडिया/मटेरियल का मुद्रण छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा निर्धारित गुणवत्ता, आकार-प्रकार अनुसार करना अनिवार्य है, मुद्रण सामग्री के आकार में कमी होने पर 2 .5 प्रतिशत तथा मुद्रण की गुणवत्ता/जीएसएम में कमी होने पर 2 .5 प्रतिशत एवं दोनों कमी पाये जाने पर 5 प्रतिशत दर पर अनुपातिक दर के अतिरिक्त पेनालटी कटौती की जायेगी। पेनालटी तय करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।

**छत्तीसगढ़ संवाद**  
**(जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था)**  
**नार्थ ब्लाक, सेक्टर- 19, नवा रायपुर अटल नगर**  
**जिला रायपुर ,छत्तीसगढ़**

14	छत्तीसगढ़ शासन के किसी भी उपक्रम निगम, मंडल, विश्व विद्यालय स्ववित्तपोषी संस्था द्वारा काली सूची में डाले गये फर्म निविदा में भाग नहीं ले सकते। इस संबंध में फर्म को निर्धारित प्रारूप में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ - पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फर्म को कहीं भी काली सूची में नहीं डाला गया है एवं शपथ पत्र कि मूल प्रति (हार्डकॉपी) निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं नियत समय तक छत्तीसगढ़ संवाद भवन, नवा रायपुर अटल नगर के द्वितीय -तल में स्थित कक्ष क्र .10 भण्डार शाखा में जमा करना होगा ।
15	एजेंसी के पास रायपुर के अतिरिक्त 33 जिलों में से 10 जिला मुख्यालय में न्यूनतम लाईट/बिना लाईट के 5-5 होर्डिंग्स अर्थात् कुल 50 होर्डिंग्स स्वंय के स्वामित्व में का हो, जो स्थानीय प्राधिकरण, नगर निगम/नगर पालिका से वैध हो। छत्तीसगढ़ संवाद में सूचीबद्ध होर्डिंग की वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
16	छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय के रेलवे या एयरपोर्ट परिसर आदि विशेष में स्थापित एकल स्वामित्व वाले होर्डिंग्स एजेंसियों के लिए उक्त न्यूनतम संख्या बाध्य नहीं है। परन्तु एकल स्वामित्व रखने वाले एजेंसी अपने-अपने वैध स्वामित्व वाले होर्डिंग्स की दर ही प्रस्तुत करेंगे। यदि फर्म का होर्डिंग केवल रेलवे या एयरपोर्ट परिसर में है और जिला मुख्यालय के लिए वांकित न्यूनतम होर्डिंग्स नहीं है तो फर्म केवल संबंधित एकल स्वामित्व वाले स्थान के लिए ही इम्पैनल्ड होंगे अन्य स्थान के लिए फर्म का इम्पैनलमेंट नहीं होगा ।
17	जन, धन एवं थर्ड पार्टी की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बंधित होर्डिंग्स एजेंसी की होगी। किसी भी प्रकार की क्षति के लिए छत्तीसगढ़ संवाद उत्तरदायी नहीं होगा समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं से यथा आवश्यक अनुमति/प्रमाण पत्र/NOC होर्डिंग्स एजेंसी के पास होनी चाहिए।
18	छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा उपलब्ध कराये गये निगरानी ऐप में लगाये गये होर्डिंग्स का फोटो अपलोड करना होगा। फोटो 02 बार (प्रथम बार फ्लैक्स लगाने तथा द्वितीय बार होर्डिंग्स डिस्प्ले हेतु निर्धारित अवधि की अंतिम तिथि ) उपलब्ध कराना होगा। यदि आपका फ्लैक्स परिवर्तित होता है तो उस स्थिति में पूर्व में लगाये गये फ्लैक्स की अंतिम अवधि की फोटो तदृपश्चात् आपको परिवर्तित फ्लैक्स का फोटो अपलोड करना होगा।
19	कार्य संपादन पश्चात् सत्यापन प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ्स के साथ 21 दिवस तक एजेंसी द्वारा देयक प्रस्तुत नहीं करने पर एजेंसी को देयक प्राप्त होते तक अन्य कार्य का आबंटन नहीं किया जायेगा।
20	निविदा की न्यूनतम दरों के अतिरिक्त शासन द्वारा लागू जीएसटी का पृथक से भुगतान किया जायेगा।
21	होर्डिंग में विज्ञापन प्रदर्शन हेतु नगर पालिका/नगर निगम अन्य संबंधित शासकीय एवं अर्द्धशासकीय से अधिकार प्राप्त होना आवश्यक है।
22	पैनल में सूचीबद्ध फर्म द्वारा L1 दर में कार्य करने में किसी भी प्रकार की असमर्थता यथा समय सीमा, तकनीकी समस्या या अन्य कोई कारण जाहिर करता है एवं कार्य नहीं करने की स्थिति में फर्म को आगामी तीन माह तक कोई कार्य/कायदेश नहीं दिया जायेगा।
23	छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा निर्धारित दरों निविदा अनुमोदन की तिथि से आगामी 02 वर्ष के लिए मान्य होगी। इसके पश्चात् अवधि में कम, वृद्धि व निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित होगा।

**छत्तीसगढ़ संवाद**  
**(जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था)**  
**नार्थ ब्लाक, सेक्टर- 19, नवा रायपुर अटल नगर**  
**जिला रायपुर ,छत्तीसगढ़**

24	पैनल के एजेंसी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर चाहे गए स्थानों में कायदिश में उल्लेखित आकार - प्रकार में कार्य से इंकार करने पर एजेंसी की सुरक्षा निधि राजसात की जा सकेगी तथा एजेंसी को एक साल तक ब्लॉक लिस्टेड किया जा सकेगा।
25	इम्पैनलमेंट पश्चात् फर्मों द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान नवीन होर्डिंग्स स्थापित करने पर छ. ग. संवाद की सूची में सूचीबद्ध करने हेतु प्रत्येक तिमाही में दिनांक 1 से 10 तारीख के बीच में ही वैधता दस्तावेज के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
26	एजेंसी द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार को उपरोक्त होर्डिंग्स के "ब" श्रेणी के निविदा के सभी नियम एवं शर्तें मान्य हैं।
27	निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार फर्म को राशि रु. 100/- के स्टाम्प पर छत्तीसगढ़ संवाद नवा रायपुर के साथ निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित कर नोटरी से सत्यापित कराना होगा।
28	जिस निकाय से फर्म को स्थापित होर्डिंग की रसीद/ अनुमति प्राप्त होगी उसी निकाय में होर्डिंग्स को सूचीबद्ध किया जायेगा।
29	बिन्दु क्र . 14 में उल्लेखित नोटरी से सत्यापित प्रमाण पत्र की मूल प्रति के अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज ऑफलाईन स्वीकार्य नहीं होगा एवं वांछित दस्तावेज ऑनलाईन जमा नहीं होने की स्थिति में टेक्नीकल बिड अमान्य किया जायेगा।
30	तकनिकी बिड खोलने के पश्चात् निविदाकार द्वारा निविदा withdraw करने की स्थिति में अथवा निविदाकार द्वारा जमा कोई दस्तावेज / जानकारी गलत या जाली साबित होती है तो निविदाकार द्वारा जमा अमानत राशि जब्त किया जाएगा।
31	आबिट्रेशन (मध्यस्थता):- किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आबिट्रेशन-प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
32	व्यवहार में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित होने पर न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर छत्तीसगढ़ ही होगा।

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी**  
**छत्तीसगढ़ संवाद**  
**रायपुर**

**छत्तीसगढ़ संवाद**  
 (जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)  
**नार्थ ब्लॉक , सेक्टर-19 , अटलनगर**  
**जिला - रायपुर .छत्तीसगढ़**

**वर्ष 2024-26 के लिए "ब" श्रेणी के होर्डिंग्स के इम्पेनलमेंट हेतु छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों / जिला मुख्यालय स्थित रेलवे परिसर / एयरपोर्ट परिसर हेतु निविदा (रायपुर तथा नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र को छोड़कर)**

Sr. No.	Work Name	Duration
1	लाईट होर्डिंग्स:- छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय/ जिला मुख्यालय स्थित रेलवे /एयरपोर्ट परिसर के लाईट होर्डिंग्स में विज्ञापन प्रदर्शन का किराया हेतु प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें   8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिकरूप से गणना किया जायेगा ।	न्यूनतम 7 दिन-(प्रति वर्ग फीट)
		1-3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
		4-6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
		7-12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
2	बिना लाईट होर्डिंग्स:- छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय/ जिला मुख्यालय स्थित रेलवे /एयरपोर्ट परिसर के बिना लाईट होर्डिंग्स में विज्ञापन प्रदर्शन का किराया हेतु प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें   8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिकरूप से गणना किया जायेगा ।	न्यूनतम 7 दिन-(प्रति वर्ग फीट)
		1-3 माह(प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
		4-6 माह(प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
		7-12 माह(प्रति माह प्रति वर्ग फीट)

दिनांक :

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम  
 हस्ताक्षर (सील मुद्रा)

पूर्ण पता:  
 मोबाईल नं.

(रु. 50/- के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ—पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होगा)

## शपथ—पत्र

मैं \_\_\_\_\_ संस्था प्रमुख निवासी \_\_\_\_\_ छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा जारी निविदा प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। हमारे फर्म द्वारा वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा किया गया है, कोई देय राशि बकाया नहीं है। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का तथा हमारी संस्था को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे छग संवाद की उपरोक्त निविदा से संबंधित सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार हैं।

यह कि हमारी संस्था \_\_\_\_\_ किसी शासकीय और अद्वा शासकीय विभाग/ निगम/ मंडल इत्यादि द्वारा ब्लैक लिस्टेट (काली सूची) नहीं की गई है।

स्थान \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

संस्था का नाम व मोहर